प्रेस विज्ञप्ति

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 28.01.2026

सोनभद्र पुलिस का बड़ा प्रहार : 30 ग्राम हेरोईन (अनुमानित कीमत लगभग ₹30 लाख), लग्ज़री कार व तस्करी नेटवर्क का खुलासा-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा श्री अमीत कुमार के निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष शक्तिनगर श्री कमल नयन दूबे के नेतृत्व में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। दिनांक 27.01.2026 को समय करीब 23.55 बजे थाना शक्तिनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कोहरौल पानी टंकी के पास से एक अभियुक्त को 30 ग्राम अवैध हेरोईन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना शक्तिनगर पर **मु0अ0सं0–20/2026 धारा 8/21/27A/29 NDPS Act** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1 सुनील भारती पुत्र शिवमंगल भारती निवासी निमियाटाड़ बस्ती थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र उम्र करीब 32 वर्ष

पूछताछ का विवरण :-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुनील भारती द्वारा बताया गया कि वह काफी समय से हेरोईन बिक्री के अवैध धंधे में संलिप्त है, इस अवैध कारोबार में उसके साथी दीपक भारती एवं कबीर उर्फ रमेश भी शामिल हैं, जो बाहर से हेरोईन मंगवाते हैं। अभियुक्त उनके माध्यम से हेरोईन प्राप्त कर उसे पुड़िया बनाकर फुटकर एवं थोक में बिक्री करता है।अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसके पास से बरामद हेरोईन दीपक भारती से खरीदी गई थी तथा हेरोईन बिक्री से प्राप्त धनराशि से उसने स्विफ्ट डिजायर कार क्रय की थी। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि वह पूर्व में भी इसी प्रकार के मामलों में जेल जा चुका है।

बरामदगी का विवरण :-

1. कुल 30 ग्राम अवैध हेरोईन **(अनुमानित कीमत लगभग ₹30 लाख)**
2. हेरोईन विक्री की धनराशि से खरीदी गई 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार (अनुमानित कीमत ₹12 लाख)
3. हेरोईन विक्री से प्राप्त ₹39,980/- नगद
4. हेरोईन खरीद-विक्री में प्रयुक्त 02 की-पैड मोबाइल फोन
5. 01 अदद सैमसंग एंड्रॉइड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत ₹1.5 लाख)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0सं0–43/2024 धारा 8/21/29 NDPS Act, थाना शक्तिनगर
2.मु0अ0सं0–44/2024 धारा 8/21 NDPS Act, थाना शक्तिनगर
3.मु0अ0सं0–78/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद अधिनियम, थाना शक्तिनगर
4.मु0अ0सं0–20/2026 धारा 8/21/27A/29 NDPS Act, थाना शक्तिनगर

वांछित अभियुक्तों का विवरण :-

1.दीपक भारती पुत्र गुलाब भारती, निवासी डिबुलगंज, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र
(अपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0–0133/2023, 193/2025, 20/2026 NDPS Act)
2.कबीर उर्फ रमेश पुत्र अज्ञात, निवासी तेलगवां, थाना विन्ध्यनगर, जनपद सिंगरौली (म.प्र.)

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

1. श्री कमल नयन दूबे थानाध्यक्ष शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 जितेन्द्र सरोज, चौकी प्रभारी बीना, थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 राम बचन सिंह, थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
4. उ0नि0 दिनेश गौतम थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 अशोक कुमार सिंह थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 दिनेश भारती थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
7. हे0का0 माधवानन्द सिंह, थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
8. हे0का0 राजू राम, थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
9. का0 अमृत लाल, थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
10. का0 पंकज कुमार-।।, थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
11. का0 सत्यम सरोज, थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।